99

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

III/निग०/सतना/17/3092 (म0प्र0)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रामलखन द्विवेदी तनय स्व0 श्री गजाधर प्रसाद द्विवेदी पेशा कृषि एवं वकालत निवासी ग्राम जनार्दनपुर तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना (म0प्र0)

—— निगराकार

आवेदक की ओर से श्री पुष्पेन्द्र कुमार द्विवेदी एड. द्वारा पेश/01-9-17
1-9-17
कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1— बृजकिशोर तनय तेजभान द्विवेदी (फौत) वारिस

अ— बेबा सरोज द्विवेदी पत्नी स्व0 वृजकिशोर द्विवेदी

ब—चेतन द्विवेदी
स—चंचल द्विवेदी } सभी के पिता स्व0 वृजकिशोर द्विवेदी
द—शेखर द्विवेदी

2— अनिल द्विवेदी उर्फ कल्ली
3— मनोज द्विवेदी } सभी के पिता तेजभान द्विवेदी
4— ललित कुमार द्विवेदी

5— श्रीकृष्ण द्विवेदी तनय जमुना प्रसाद द्विवेदी

6— तरूणेन्द्र शेखर द्विवेदी तनय बीरभान द्विवेदी

7— वृजेन्द्र प्रसाद तनय लल्लू प्रसाद

सभी निवासी ग्राम जनार्दन पुर तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

—— गैरनिगराकारगण

निगरानी आवेदन पत्र विरूद्व अन्तरिम आदेश श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना बाबत रा0प्र0क0 179अपील/15—16 आदेश दि0 18/08/17

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता सन् 1959ई0

/ 04/15 के ... 2-5 बाम्बें में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक तीन—निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 3092

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-03-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के प्रकरण कमांक 179 / 15—16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18—8—17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार रामपुर वाघेलान व्दारा प्रकरण कमांक 4 अ 70 / 13—14 में पारित आदेश दिनांक 31—8—15 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 28—10—15 को अपील प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपील मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा—5 के आवेदन को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 18—8—17 में विवेचित किया है कि अपीलांट को नकल दिनांक 15—10—15 को मिली है एंव अपील 28—10—15 को प्रस्तुत की गई है जिसके कारण अपील म्याद में दायर हुई है। यदि आदेश दिनांक 31—8—15 के विरूद्व दिनांक 15—10—15 को अपील प्रस्तुत करने की अवधि पर विचार किया जाय ? तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की म्याद है जबकि अनावेदक को तहसील न्यायालय से 15—10—15 का प्रमाणित प्रतिलिपि मिली है अर्थात 15—10—15 से 28—10—15 कुल 13 दिन का विलम्ब है जिसे अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अत्याधिक विलम्ब न मानते हुये अवधि विधान की धारा—5 में दिये गये कारणों से सन्तुष्ट होकर अपील समयावधि में मानी है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी—स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	